E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
Impact Factor (RJIF): 5.63
www.historyjournal.net
IJH 2025; 7(9): 25-28
Received: 22-06-2025
Accepted: 24-07-2025

डॉ० रंजु कुमारी
पीएच० डी०, इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत।

Corresponding Author:
डॉ० रंजु कुमारी
पीएच० डी०, इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार, भारत।

आधुनिक भारत में शिक्षा पद्धति – एक अध्ययन

डॉ० रंजु कुमारी

DOI: https://www.doi.org/10.22271/27069109.2025.v7.i9a.512

सारांश
शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को आदिकाल से ही प्रभावित करती आयी है और मनुष्य ने शिक्षा के द्वारा अपने ही समाज और संस्कृति विकास किया है। जिसका परिणाम आज का आधुनिक समाज है। शिक्षा समय, समाज, संस्कृति और देश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बदलती रही है किन्तु आज हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गयी है, जहाँ हम शिक्षा का अर्थ किसी स्कूल कॉलेज या विश्वविद्यालय में जाकर विभिन्न विषयों की दस या बीस–तीस पुस्तकें अध्यापकों से पढ़ लेना ही समझते हैं। जिस व्यक्ति ने इस नियत पाठ्यक्रम के अनुसार जितनी अधिक पुस्तकें पढ़ी हैं और जितनी ऊँची परीक्षाएँ पास की हैं वह हमारी . ष्टि में उतना ही अधिक शिक्षित या विद्वान है। आजकल लोगों का यही विचार है कि जो व्यक्ति अक्षरों से परिचित नहीं है और एक या कई भाषाओं को लिखने पढ़ने की योग्यता नहीं रखता वह कदापि शिक्षित नहीं कहा जा सकता है। परन्तु हमारी प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था ऐसी न थी उसमें विद्यार्थियों को केवल किसी एक विद्या की शिक्षा नहीं दी जाती थी बल्कि उन्हें शिक्षा शारीरिक मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों के विकास की शिक्षा दी जाती थी जिससे वे अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकें किन्तु आज की शिक्षा ऐसा करने में असमर्थ है। बी. सरन ने कहा है की, चाहे कितने भी अच्छे दिन क्यों न आये तब तक मातृभूमि का मुखमण्डल न चमकेगा जब तक की भारत की संस्कृति बोल न उठेगी जंगलों के गुरूकुलों में निवास करने वाले ऋषियों की भाषा में जागकर न कहेगी की उम्र अलौकिक संदेश और शिक्षा को फैलाओ गुरूकुल प्रणाली के सिद्धांत सदैव और सर्वत्र ग्रहणीय है प्रत्येक देश और प्रत्येक परिस्थिति में आज हमारी शिक्षा किसी अधेरी गुफा में अपने रास्ते से भटक गयी है। ऐसा क्यों? अतः हमें अपनी आधुनिक शिक्षा में कुछ दिशा एवं दशा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिसे हम इस लेख के माध्यम से दृष्टिपादित करने का प्रयत्न कर रहे है।

कुटशब्दः आदिकाल, आधुनिक, संस्कृति, शिक्षा, भौगिलिक, उत्साहवर्धन, आजादी, पुनरुद्धार, परिस्थितियाँ।

प्रस्तावना
समाज के सभी अंगों में शिक्षा की स्वीकार्यता के और समाज द्वारा शिक्षा के महत्व को जानने के बाबजूद शिक्षा के सैद्धान्तिक पहलू व व्यवहारात्मक पहलुओं में भारी अन्तर दिखाई देता है। हमारी आज़ादी के बाद शासन की ईमानदार कोशिशों के बावजूद सामान्य शिक्षा व्यवस्था के प्रति लोगों का भरोसा कम हुआ है। भारतीय शिक्षा आज़ादी के बाद दो अलग–अलग व्यवस्थाओं द्वारा संचालित होने लगी एक वह जो सरकारी स्कूलों के रूप में थी और दूसरी वह जो निजी शिक्षण संस्थानों के रूप में सामने आयी। इस प्रकार आज़ादी के साथ ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बंट गयी और इस विभाजन ने ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया कि भारतीय समाज भी दो भागों में बंट गया। समाज का एक वह हिस्सा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ता था और दूसरा वह जो निजी संस्थाओं में पढ़ता था। शिक्षा के विभाजन ने दो अलग–अलग भारत बना दिये इससे समाज में पहले से मौजूद ऊँच–नीच की भावना को और अधिक बल मिला तथा इस विभाजन में परम्परा व आधुनिकता के संघर्ष की परिस्थितियाँ भी पैदा की। पारम्परिक शिक्षा जो हमारी स्थानीय परिस्थितियों की उपज थी और जिसमें भारतीय जीवन शैली, भारतीय सामाजिक मूल्यों और आवश्यकताओं का समावेश था, एक ऐसी आयातित शिक्षा प्रणाली द्वारा धीरे–धीरे विस्थापित कर दी गयी, जो आधुनिक तो थी और इसमें बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप खुद को ढाल लेने की सामर्थ्य भी थी। किन्तु यह एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें भारतीयता और उसके मूल्यों के प्रति आग्रह बहुत कम था। भारत में सामाजिक जीवन के अन्य पक्षों की भांति शिक्षा के क्षेत्र में भी विगतशताब्दियों के कुछ पारम्परिक लक्षण चलते रहे। उच्च शिक्षा के प्राचीन प्रसिद्ध केंद्र जैसे तक्षशिला, नालन्दा, भागलपुर के पास विक्रमशिला, उत्तरी बंगाल में जगद्दल, काठियावाड़ में वल्लभी और दक्षिण में कांची बहुत पहले ही समाप्त हो चुके थे। इसके विपरीत इस्लामी शिक्षा शासकों और सम्भ्रान्त पुरुषों के संरक्षण में धीरे–धीरे पनपने लगी।

फिर भी अधिकांश हिन्दु अपने समय के प्रसिद्ध शिक्षा केन्द्रों में ही शिक्षा प्राप्त करते रहे और भाषाई साहित्य की उन्नति के साथ उन्होंने अपने शास्त्रों का भी अध्ययन किया। थामस ने 1891 में लिखा– कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जहाँ ज्ञान का प्रेम इतने पहले उदय हुआ हो या जिसका प्रभाव इतना चिरस्थायी और शक्तिशाली रहा हो। उसके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में प्रारम्भिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था देखी जिनमें से पहली मुख्यतया प्रायोगिक थी और दूसरी मूलतः साहित्यिक, दार्शनिक और धार्मिक। लगभग डेढ़ सौ सालों तक अंग्रेज व्यापार और विजय हासिल करने में व्यस्त रहे और इस तरह उन्होंने शिक्षा के विकास सहित सभी तरह की सांस्कृतिक गतिविधियों से दूरी बनाये रखी। सन् 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा शुरू करने के साथ ओरियेंटल कॉलेज की शुरूआत भी की थी। उसके ये कदम मुख्य रूप से प्रशासनिक कारणों से थे। ग्यारह साल बाद सन् 1792 में वाराणसी निवासी जोनाथन डंकन ने स्थानीय हिंदुओं को शिक्षित करने के लिये वाराणसी में एक संस्कृत कालेज आरंभ किया जिससे वे यूरोपीय लोगों के सहायक बन सके। उन्हीं दिनों ईसाई मिशनरियों ने प्राथमिक स्कूल खोलकर निम्न वर्गों के साथ–साथ अछूत लोगों को शिक्षा मुहैया करवाकर पश्चिमी शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध को शैक्षणिक प्रयोगों का समय कहा जा सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के सन् 1813 के चार्टर ऐक्ट द्वारा कंपनी ने एक लाख रुपया अलग से रख दिया ताकि साहित्य का पुनरुद्धार और प्रगति हो सके तथा पढ़े–लिखे भारतवासियों का उत्साहवर्धन और भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रांतों के लोगों में वैज्ञानिक शिक्षा का प्रचार–प्रसार किया जा सके। प्राचीन शिक्षाविदों और आंग्लवादियों के बीच एक विवाद चला जिसे अन्ततः सन् 1935 के मैकाले के मिनट और बेन्टिक के प्रस्ताव ने हल कर दिया। यह तय हुआ कि यूरोपीय साहित्य और विज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिये इस धन का इस्तमोल किया जायेगा। विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी को सरकारी काम काज की भाषा के रूप में अपनाया। सन् 1844 में लार्ड हेस्टिंग्स ने तय किया कि जो भारतीय अंग्रेजी में शिक्षित होंगे, उन्हें ही रोजगार दिया जायेगा। सन् 1854 में वुड के घोषणापत्र ने शिक्षा नीति के उद्देश्य को स्पष्ट किया जो कि अंग्रेजी या अन्य कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा के माध्यम से 'यूरोप' की विकसित कलाओं, विज्ञान, दर्शन और साहित्य की शिक्षा का प्रचार था। दस्तावेज में सुझाव दिया गया था कि बंबई (मुम्बई), मद्रास (चेन्नई) और कलकत्ता (कोलकाता) में विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहियें। इसने निजी संस्थानों, अनुदान अनुमोदन प्रणाली, स्कूलों में शिक्षकों के प्रशिक्षण, महिला शिक्षा और ऐसे ही अन्य विकास कार्यों पर जोर दिया था। सन् 1857 में बंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। सन् 1882 और 1887 में क्रमानुसार पंजाब और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। सन् 1901 में लार्ड कर्जन ने सार्वजनिक संस्थानों के निदेशकों के एक सम्मेलन को आयोजित किया जिससे उनके निर्णयों पर आधारित शैक्षणिक सुधारों एक युग का सूत्रपात हुआ। सन् 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ था, जिससे विश्वविद्यालय शिक्षण कर सकें, कॉलेजों का निरीक्षण कर सकें तथा उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के प्रयास कर सकें। औपनिवेशिक शासन में जन शिक्षा को नजरअंदाज किया गया था। एक शहरी शिक्षित तबके के निर्माण का प्रयास किया गया जिससे यह तबका शासक और शासित के बीच बिचौलिये की भूमिका निभा सके। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर परीक्षा प्रणाली पर जोर दिया गया था। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव एक समान नहीं था तथा शिक्षा का प्रसार गाँवों से अधिक शहरों में हुआ। इसका सकारात्मक पहलू यह था कि इसने पढ़े लिखे राजनीतिक नेताओं व समाज सुधारकों का एक तबका पैदा किया जिन्होंने आजादी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्र और प्रचार पत्रों ने जनता के बीच जागरूकता पैदा की। अंग्रेजों ने स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहित किया क्योंकि उन्हें प्रशासनिक कार्यालयों में क्लर्कों और बाबुओं की आवश्यकता थी। इससे भारत में लोगों की एक नई श्रेणी का जन्म हुआ जिन्होंने बाद में प्रशासन के कई पक्षों में और शासन में सहायता की। परिणामस्वरूप भारत में आई ईसाई मिशनरियों ने विद्यालय खोलने प्रारम्भ किए जहाँ अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। भारत में आप ऐसे कई स्कूल आज भी देख सकते हैं। बहुत से भारतीयों ने अपने बच्चों को इन विद्यालयों में भेजा क्योंकि वे सोचते थे कि इससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में नौकरी मिल सकेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमें 1947 में अंग्रेजी राज्य से स्वतन्त्रता मिली और स्वतन्त्र भारत की भारत सरकार को अपनी जनता के लिए शिक्षा की योजनाएँ बनाने का उत्तरदायित्व संभाला।

(क) सार्वभौमिक पहुँच और पंजीकरण

(ख) स्कूल में 14 वर्ष की उम्र तक सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक ठहराव।

(ग) शिक्षा की गुणवत्ता में महत्त्वपूर्ण सुधार ताकि सभी बच्चे अध्ययन के आवश्यक स्तर को प्राप्त कर सकें।

सर्वशिक्षा अभियान

केन्द्रीय सरकार का यह महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम 2001 में प्रारम्भ हुआ इस अभियान के अन्तर्गत सरकार का लक्ष्य था कि 2010 तक 6–14 साल के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाये।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा एक अत्यधिक शारीरिक परिवर्तन और पहचान के निर्माण का समय है। यह विशिष्ट अभिव्यक्ति और शक्ति का भी समय है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण विस्तार हुआ है। इसमें 14 से 18 (कक्षा 9–12) आयुवर्ग के बच्चे आते हैं। 2001 की जनगणना के हिसाब से 88.5 मिलियन बच्चे माध्यमिक शिक्षा में भर्ती हुए। हालांकि नामांकन सूत्र दिखाते हैं कि इनमें से केवल 31 मिलियन बच्चे 2001–2002 में स्कूल गये। जबकि स्कूलों और दाखिले में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई वहीं शिक्षकों की संख्या में कम बढ़ोतरी हुई। यह स्पष्ट है कि कुल रूप से इसने गुरु–शिष्य के अनुपात को प्रभावित किया। जैसे–जैसे देश शिक्षा के सार्वभौमीकरण की ओर आगे बढ़ेगा वैसे–वैसे स्कूलों की संख्या बढ़ाने के लिए भी दबाव बढ़ता जायेगा। यद्यपि भारत में जो भी विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा (दसवीं कक्षा तक) ग्रहण करना चाहे वह कर सकता है किन्तु उच्च प्रारंभिक कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों में से आधे से अधि क माध्यमिक कक्षाओं में प्रवेश नहीं लेते। प्रारम्भिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की सफलता के पश्चात् केन्द्रीय सरकार अब माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरी तरह तैयार है जिसका प्रावधान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया है और जिसके बारे में हम सेक्शन 18.9 के अन्तर्गत पढेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर एक अलग तरह की शिक्षा है। इसका उद्देश्य, विद्यार्थियों को एक विशिष्ट रोजगार के लिये तैयार करना है जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ शामिल हैं। सन् 1968 में लागू की गई पहली शिक्षा नीति में अपनाये गये सुधारों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना था। किन्तु इस दिशा में किये गये प्रयत्न फलीभूत नहीं हो सके। यद्यपि आशा की गयी थी कि +2 स्तर पर पचास प्रतिशत तक विद्यार्थियों के नाम स्कूल में दर्ज होंगे किन्तु वास्तव में यह संख्या अधिक नहीं रही और केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिये प्लानिंग कमीशन के अनुसार लगभग 5114।

औद्योगिक शिक्षा संस्थान (ITI) होंगे। जो 57 इन्जीनियरिंग और अन्य व्यापारों में प्रशिक्षण देंगे। वर्तमान में इस दिशा में एक सकारात्मक प्रयत्न है एक राष्ट्रीय कौशल विकास और प्रशिक्षण मिशन की स्थापना।

उच्च शिक्षा

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की आधारशिला रखी थी, कहा था यदि विश्वविद्यालय सुचारु रूप से चलते रहे तो देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। उच्च शिक्षा का प्रारंभ तब होता है जब एक विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक (कक्षा बारह) शिक्षा पूर्ण कर लेता है। तब वह कॉलेज या महाविद्यालय में प्रवेश लेता हैं जो विश्वविद्यालय का ही एक हिस्सा होता है। यद्यपि उच्च शिक्षा को महत्त्वपूर्ण भूमिका सौंपी गयी थी तथापि इस दिशा में की गयी प्रगति अत्यंत रूप से असमान रही है। जहाँ कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने शैक्षिक श्रेष्ठता हासिल कर अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई है वहीं देश के अधिकांश कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की सामान्य दशा देश के लिये एक चिंता का विषय है। उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 20 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या अत्यंत कम है। यह अनुपात कई प्रदेशों में तो बहुत ही कम है विशेष रूप से स्त्रियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के संबंध में। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अच्छे स्तर की उच्च शिक्षा नाममात्र को है। विभिन्न कॉलेजों में सुविधाओं के स्तर में भी अंतर है। यह आवश्यक है कि विभिन्न कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समानता हो तथा ऐसे विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जायें जो व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व विकास के लिये आवश्यक हों तथा विद्यार्थियों में विवेक, बुद्धि, जिज्ञासा तथा सीखने समझने की क्षमता का विकास करें। राज्य ने उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर उसे काफी सस्ता बनाया है। शुल्क के रूप में कॉलेज के विद्यार्थी को काफी कम कीमत देनी पड़ती है। उसकी शिक्षा में होने वाले अन्य व्यय राज्य या केन्द्र सरकारों द्वारा वहन किये जाते हैं। यह सार्वजनिक धन है जिसे सोच विचार कर उन्हीं विद्यार्थियों पर खर्च करना चाहिये जो इसके योग्य हैं।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ों में व्याप्त अशिक्षा को दूर करना भी एक अनिवार्य लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पंद्रह से पैंतीस वर्ष की आयु के वयस्कों में शिक्षा के प्रसार को स्थान दिया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का लक्ष्य 80 मिलियन अशिक्षित व्यक्तियों को। कार्यकारी साक्षरता प्रदान करना और व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण देना है। स्वतन्त्रता के बाद 1951 में कुल जनसंख्या का साक्षरता दर 18.3: थी जो 2011 में 74: तक बढ़ गई। पुरुष साक्षरता दर 82.14: है और महिला साक्षरता दर 74: है। तकनीकी शिक्षा के महत्त्व से इंकार करना असंभव है। भारत में प्रशिक्षित जन शक्ति का बड़ा भंडार है। तकनीकी शिक्षा और प्रबंधन शिक्षा के पाठ्यक्रमों को उद्योगों की वर्तमान और अनुमानित जरूरतों के मुताबिक बनाया गया। देश के वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास में ये तकनीकी रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति शक्ति का स्रोत रहे हैं। अक्सर यह कहा जाता है कि हमारे अधिक प्रतिभाशाली इंजीनियरों को उस प्रकार की नौकरियों और काम का माहौल नहीं मिल पाता कि वह आर्थिक और मानसिक रूप से संतुष्ट हो सकें। इसके चलते यहाँ बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इसका तात्पर्य है या तो वह विकसित देशों में चले जाते हैं अन्यथा प्रबंध क्षेत्रों में। ब्रेन ड्रेन (प्रतिभाओं का पलायन) का अर्थ है– 'जब प्रतिभावान स्त्री या पुरुष जो उच्च शिक्षा प्राप्त और होशियार हों, वे बेहतर आय और सुविधाओं की तलाश में स्वदेश छोड़कर विदेश चले जाते हैं इस स्थिति को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। भारत में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के कई प्रतिष्ठित केन्द्र हैं जैसे भारतीय तकनीकी संस्थान (IIT) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

स्वतंत्रता के पश्चात देश के संसाधनों का एक बड़ा भाग शिक्षा में लगाया गया है। अतः शैक्षणिक सस्थानों से कुशलतापूर्वक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। स्वतंत्रता पश्चात् भारत में शिक्षा की दिशा में सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्त्वपूर्ण कदम थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, एकरूप नागरिकता तथा संस्कृति की भावना को बढ़ाना तथा राष्ट्र की अखंडता को सशक्त बनाना था। इसने शिक्षा व्यवस्था में आमूल परिवर्तन पर जोर दिया ताकि प्रत्येक स्तर पर उसमें गुणात्मक परिवर्तन आ सके उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक बल दिया गया ताकि नैतिक गुणों का विकास हो तथा जन जीवन और शिक्षा में अधिक सार्थक संबंधों की स्थापना हो सके। यह भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों की उपलब्धियों के बल पर ही नयी नीति (सन् 1986) का निर्माण किया गया था। भारत में स्कूलों का पहले से ही एक विस्तृत जाल बिछा हुआ है। लगभग 95 प्रतिशत जनता के एक किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक स्कूल है और 80: जनता माध्यमिक विद्यालय से तीन किलोमीटर दूर है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (सन् 1986) के अनुसार 15–35 आयु वर्गों के लोगों को साक्षर बनाने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय साक्षरता का मिशन शुरू हुआ।

भारत में दूरदर्शन और रेडियो स्टेशनों का भी राष्ट्रीय नेटवर्क है। एक उपग्रह की उपलब्धता और अधिकांश जनता तक पहुँचने वाले दूरदर्शन का विस्तार वह महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जो शिक्षण–अधिगम व्यवस्था में क्रांति लाने की ताकत रखते हैं। इनके माध्यम से औपचारिक शिक्षा की संवृद्धि कर शिक्षण व्यवस्था तथा अनौपचारिक शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा को समर्थन देकर इनमें क्रांतिकारी परिवर्तन लाये जा सकते हैं। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालयों (आदर्श स्कूलों) की स्थापना न केवल केन्द्र की शिक्षा के संबंध में प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करती है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में सबकी समानता स्थापित करने की उसकी चिंता को भी प्रकट करती है। इन विद्यालयों के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी उत्तम शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ हो सकेंगे चाहे उनके माता–पिता का आर्थिक स्तर कैसा भी हो।

पत्राचार शिक्षा

दूरस्था शिक्षा – भारत में अनेक विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति बीच में ही छोड़नी पड़ती है। इसके भिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे आर्थिक, भौगोलिक, शैक्षिक या चिकित्सा संबंधी। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ऐसे शिक्षार्थियों के लिए ही है। पत्राचार संस्थाओं द्वारा भेजे गये अभ्यासों द्वारा कक्षा में उपस्थित हुये बिना ही विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। साथ ही वह विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के साथ–साथ अपनी नौकरियों या व्यवसाय में भी कार्यरत रह सकते हैं।

निष्कर्ष

आधुनिक शिक्षा ने सपूंर्ण विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न की है। इसने संपूर्ण विश्व को क्रमशः अंधकार युग से निकालकर प्रकाश की किरणें दिखलाई। ऐसा नहीं है कि एक दिन अचानक ही आधुनिक शिक्षा प्रकट हुई जिसके फलस्वरूप समस्त मानव जाति आधुनिक हो गई। सामाजिक परिवर्तन और शिक्षा दोनों एक–दूसरे के पूरक रहे हैं। आधुनिक शिक्षा ने मनुष्य को आधुनिक भाव–बोध प्रदान किया, उन्हें अधिक–से–अधिक तार्किक बनाया तथा वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। इस तार्किक बुद्धि ने सामाजिक परिवेश में आमूल–चूल परिवर्तन किया। सब कुछ एक

नये सिरे से सोचा, समझा और विचारा जाने लगा। यद्यपि अलग–अलग देशों में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप अलग–अलग रहे हैं और उनका समय भी अलग–अलग रहा है तथापि मूल रूप से आधुनिक शिक्षा का एक सामान्य अंतरराष्ट्रीय स्वरूप रहा है।

संदर्भ सूची

1. पाठक, आर०पी० (2010), "आधुनिक भारतीय शिक्षा, समस्याएँ", एवं समाधान नई दिल्लीः कनिष्क पब्लिशर्स।
2. यादव, वीरेन्द्र सिंह (2013), "भारतीय शिक्षा का बदलता परि. श्यः चुनौतियाँ एवं समाधान की दिशाएँ", नई दिल्लीः ओमेगा पब्लिकेशन्स।
3. गुप्ता, मंजू (2007), "आधुनिक शिक्षण प्रतिरूप", नई दिल्लीः के०एस०के० पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यटूर्स।
4. सक्सैना, एन०आर० स्वरूप (2012). "उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा", मेरठः आर० लाल बुक डिपो।
5. सिंह, राजेन्द्रपाल (2011), "तुलनात्मक शिक्षा के सिद्धान्त", जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
6. मिश्र, जय शंकर; 2006 "प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, दशम् संस्करण।
7. यादव, सांवर सिंह; 2021 "सावित्रीबाई फुले" राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर।
8. जे. कृष्णमूर्ति 2020 "शिक्षा क्या है" (विनय कुमार वैद्य द्वारा अनुवादित) राजपाल एंड संस, दिल्ली।
9. डॉ. अग्रवाल, प्रमोद कुमार; 2021 "भारत का संविधान" प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
10. डॉ. सिंह, अविनाश कुमार; 2021, नए भारत की नीव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
11. रावत, प्यारे लाल (1975) – प्राचीन और भारतीय शिक्षा का इतिहास, आगराः भारत पब्लिकेशन्स।
12. गुप्ता, एस0 पी0 तथा अल्का गुप्ता, (2008) – भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्यायेंः इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
13. अग्निहोत्री, रविन्द्र (2006) – आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएँ और समाधान, जयपुरः राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।
14. (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, https://www-education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_O-pdf पृष्ठ सं. 03)